संख्या-39/2023/2015/58-2023/1739040-2023

प्रेषक,

बाल कृष्ण त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजना में भारत सरकार से अवमुक्त केन्द्रांश रू0-3740.00 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनिवार्य राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-10118.31 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-52/बजट/2023-24, दिनांक 17.08.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 1-27/2023-RKVY/1 दिनांक 16.08.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम किस्त के रूप में सामान्य श्रेणी हेतु धनराशि रू0-3740.00 लाख केन्द्रांश के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनिवार्य राज्यांश की धनराशि रू0-2493.33 लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश की धनराशि रू0-3884.98 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0-10118.31 लाख (रुपये एक अरब एक करोड़ अठारह लाख इकतीस हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. भारत सरकार के पत्र दिनांक-16.08.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान/वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का होगा।
5. इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।
6. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. योजना से आच्छादित पात्र लाभार्थियों का चयन कर उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है।
10. योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराते हुए गुणवत्ता की जांच योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार सुनिश्चित कर ली गयी है।
11. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।
12. निदेशक, उद्यान विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें।
13. विभागाध्यक्षों/वित्त नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
14. उक्त धनराशि का भुगतान व उपयोग प्राथमिकता के आधार पर पोस्ट हार्वेस्ट के कार्यों में किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190102 (पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190102	27	35,26,80,000

https://shasanadesh.up

		पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.)	सब्सिडी	(रुपये पैंतीस करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार मात्र)
2	010	2401001190102 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	1,78,10,000 (रुपये एक करोड़ अठहत्तर लाख दस हजार मात्र)
3	010	2401001190102 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन (के.60/रा.40-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	35,10,000 (रुपये पैंतीस लाख दस हजार मात्र)
	कुल			**37,40,00,000** **(रुपये सैंतीस करोड़ चालीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001198902 (पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	010	2401001198902 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन	27 सब्सिडी	62,36,18,000 (रुपये बासठ करोड़ छत्तीस लाख अठारह हजार मात्र)
2	010	2401001198902 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन	42 अन्य व्यय	1,18,73,000 (रुपये एक करोड़ अठारह लाख तिहत्तर हजार मात्र)
3	010	2401001198902 पर ड्राप मोर क्राप- माइक्रो इरीगेशन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	23,40,000 (रुपये तेईस लाख चालीस हजार मात्र)
	कुल			**63,78,31,000** **(रुपये त्रेसठ करोड़ अठहत्तर लाख इकतीस हजार मात्र)**

महायोग	1,01,18,31,000 (रुपये एक अरब एक करोड़ अठारह लाख इकतीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या **E1-177-X2023-24, दिनांक:4-9-2023** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या-39/2023/2015(1)/58-2023 /1739040-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अनु सचिव, भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। द्वारा-निदेशक
7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
8- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। द्वारा-निदेशक
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संकठा प्रसाद)
अनु सचिव।